न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 58 / 2015 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती केसी पत्नी स्वर्गीय चुन्नीलाल भील, निवासी 220, पालखेडा, धार, निवासी नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती धनकी पुत्री स्वर्गीय चुन्नीलाल भील, पत्नी सोहनलाल भील, निवासी कमली (नोहरा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती कसनी पुत्री स्वर्गीय चुन्नीलाल भील, पत्नी कालुलाल भील, निवासी ग्राम नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती राधकी पुत्री स्वर्गीय चुन्नीलाल भील, पत्नी चौखा भील, निवासी नवाधर, ग्राम बडंगा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती पूंजीबाई पत्नी स्वर्गीय कालुजी भील, निवासी शिवपुरी, ग्राम चीरवा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती देऊबाई पुत्री स्वर्गीय कालुजी भील, पत्नी लेहरू भील, निवासी शिवपुरी, ग्राम चीरवा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती भंवरी पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल भील, निवासी गांव बड़ंगा, पंचायत धार, उबेश्वर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. गणेश पिता स्वर्गीय मांगीलाल भील, नाबलिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती भंवरी पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल भील, निवासी गांव बड़ंगा, पंचायत धार, उबेश्वर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. चन्दा पिता स्वर्गीय मांगीलाल भील, नाबलिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती भंवरी पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल भील, निवासी गांव बड़ंगा, पंचायत धार, उबेश्वर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती लोगरी पिता स्वर्गीय हमेरा भील, पत्नी नोजा भील, निवासी गांव बड़ंगा, पंचायत धार, उबेश्वर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

7. श्रीमती गेंदकी पत्नी स्वर्गीय हमेरा भील, निवासी गांव बड़ंगा, पंचायत धार, उबेश्वर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. शंकरलाल पिता पेमा भील, निवासी ग्राम चौकडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. देवीलाल पिता कन्हैयालाल भील, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा॰ का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा दिनांक 06.07.2015, प्रकरण संख्या 373/2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री अजय सनाढ्य अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2
3. श्री पंकट भटनागर राजकीय अभि. रे. सं. 10

———:::———

निर्णय **दिनांक 28–09–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद घोषणा, विभाजन, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष वगता जी के दो पुत्र कालू व हमेरा हुए। वादीगण कालू की पत्नी व पुत्री है तथा कालू के एक पुत्र चुन्नीलाल था, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 7 हैं। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 हमेरा की पत्नी व पुत्री हैं। पक्षकारान के शामलाती खाते की आराजियात वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर कुल किता 11 रकबा 0.9300 ग्राम बडंगा में स्थित हैं। हमेरा के स्वर्गवास के बाद उसके 1/2 हक हिस्से की अविभाजित मौरूसी भूमियां विरासत से नामान्तरकरण से उसकी पत्नी व पुत्री के नाम दर्ज हो गयी। इसी प्रकार कालू की मृत्यु होने पर उसके 1/2 हिस्से की अविभाजित

मौरूसी भूमियां का नामान्तरकरण से वादीगण व चुन्नीलाल के वारिसान में बराबर हक से दर्ज होना चाहिए था, जो नहीं किया गया जाकर चुन्नीलाल के वारिसान के नाम ही बराबर हक से दर्ज हुई, जबकि मौके पर पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। विवादित भूमियों का अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, फिर भी प्रतिवादीगण भूमियों का विक्रय करने पर आमादा है। अतएवं वाद वर्णित भूमियों का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादीगण के हक अधिकारों की घोषणा की जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में उक्त वाद प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–03–2014 को प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये एवं वादी की साक्ष्य लेने के बाद दिनांक 26–02–2015 को वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुए विवादित भूमि में वादिया संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का 1/20 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का 1/2 हिस्सा अनुसार बंटवाड़े की प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 06–07–2015 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय की उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 06–07–2015 से रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 31–08–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री अजय सनाढ्य उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

दौराने कार्यवाही अपीलान्टगण की ओर से आदेश 41 नियम 27 जा. दी. के आवेदन के साथ दस्तावेजात निम्नांकित दस्तावेज पेश कर उन्हें रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा चाही :–

1. जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 ग्राम करेली का गुड़ा
2. ग्राम पंचायत धार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

3. ग्राम पंचायत चिरवा द्वारा जारी प्रमाण पत्र

4. कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट गिर्वा द्वारा निषेधात्मक कार्यवाही का विवरण

→ प्रकरण में क्रम संख्या 1 जमाबन्दी राजकीय रेकार्ड की प्रमाणित प्रति होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार क्रम संख्या 3 ग्राम पंचायत चिरवा का प्रमाण पत्र प्रसांगिक होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है। वहीं क्रम संख्या 2 ग्राम पंचायत धार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की कोई उपादेयता नहीं है, क्योंकि यह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत चिरवा के आधार पर ही जारी किया गया है। अतएवं इस दस्तावेज की कोई प्रसांगिकता नहीं है। तद्नुसार इस दस्तावेज को रेकार्ड पर रखे जाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार क्रम संख्या 4 कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट गिर्वा द्वारा की गयी निषेधात्मक कार्यवाही की इस प्रकरण से कोई सुसंगतता नहीं है, तद्नुसार इस दस्तावेज की कोई प्रसांगिकता नहीं है। अतएवं इस दस्तावेज को रेकार्ड पर रखे जाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से भी आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ ग्राम पंचायत धार द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 191/2016 द्वारा देऊबाई पेश की प्रमाणित प्रति पेश गयी है।

→ प्रकरण में ग्राम पंचायत धार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रसांगिक होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है। जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रश्न है, वह इस प्रकरण से प्रसांगिक नहीं है। अतएवं इस दस्तावेज को रेकार्ड पर रखे जाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

उपरोक्तानुसार अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 दोनों के आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण की कभी भी तामिल नहीं हुई तथा न ही उक्त प्रकरण की उन्हें जानकारी ही हुई। दिनांक 21–08–2015 को जब भू–माफिया अपीलान्ट की उक्त कब्जेशुदा भूमि पर आये और कहा कि उक्त भूमि का सौदा करना है अपना कब्जा हटा लेंवे तब अपीलान्टगण को उक्त प्रकरण की जानकारी हुई। अपीलान्ट की सम्यक तामिल नहीं हुई है। प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर पता चला कि दिनांक 12–09–2012 की पेशी की तलबी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गयी थी, लेकिन उक्त तलबी अदम तामिल होकर लौटी, जिसको अधिनस्थ न्यायालय ने तामिल नहीं मानकर पुनः तामिल कराये जाने के आदेश दिये गये व आगामी तारीख पेशी दिनांक 05–12–2012 नियत की। उक्त पेशी के पश्चात अपीलान्ट को कभी भी तामिल नहीं करायी गयी, न ही अपीलान्टगण को उक्त प्रकरण की जानकारी थी, न ही अपीलान्टगण पर सम्यक तामिल हुई है। अपीलान्ट का अन्य रेस्पोन्डेन्ट के साथ 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र का भी अवलोकन नहीं किया है, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को ग्राम बडंगा की निवासी न होकर ग्राम चीरवा की निवासी बताया गया है तथा उसके पति का नाम कालू भील न होकर गोकल भील बताया गया है। राजस्व ग्राम करेलों का गुडा, पटवार क्षेत्र चिरवा में उसके पति गोकल की मृत्यु पर उसके पुत्र वेणीराम व उसके नाम भूमि दर्ज हुई है। वादग्रस्त भूमि से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कोई लेना देना नहीं है। अतएवं उक्त भूमि उसे बंटवाडे में नहीं दी जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध की गयी है, प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26–02–2015 के विरूद्ध उसके द्वारा कोई अपील नहीं की गयी है, तद्नुसार वादिया/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में की गयी खातेदारी घोषणा बाबत् विचार किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। वैसे भी गुणावगुण आधार पर भी देखा जाये तो पूंजीबाई के कालू की पत्नी होने बाबत् जो भी पंचायत के दस्तावेज अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट की ओर से पेश हुए हैं, वह परस्पर विरोधाभाषी

दस्तावेज हैं, जिससे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि पूंजी बाई उर्फ चुनकी कालू की पत्नी है अथवा गोकल की। इस प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील ही नहीं होने से तथा निर्णायक रूप से कोई साक्ष्य नहीं होने से कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 पूंजी बाई उर्फ चुनकी कालू की पत्नी है अथवा गोकल की। तद्नुसार हम प्रारम्भिक डिक्री की अपील ही पेश नहीं होने तथा कोई प्रभावी साक्ष्य नहीं होने से प्रारम्भिक डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाकर उनके आधार पर अंतिम डिक्री जारी हुई है उस पर ही विवेचन किया जाना उचित समझते हैं।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि दिनांक 26–02–2015 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी होकर तहसीलदार बड़गांव को बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु बंटवाड़ा रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गयी है एवं रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गयी है, जिसमें पर्चा मौका पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा नक्शा ट्रेस पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट नहीं है कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव के लिए सूचित किया गया हो। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है वह अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सभी पक्षकारों को सूचित किये बिना तैयार किया गया है एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह माननीय राजस्व मण्डल के नवीनतम न्यायिक निर्णय आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 के विपरीत है, क्योंकि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर गिरदावर द्वारा तैयार किया गया है एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पहले सभी पक्षकारों को सूचना दिये जाने की भी कोई साक्ष्य है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि

प्रकरण में तहसीलदार पक्षकारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें एवं अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर यदि पक्षकारान की कोई आपत्तियां है तो उनका पहले निस्तारण कर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28–11–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

चेनराम पिता स्वर्गीय नाथू जी भील, निवासी मोहनपुरा, चीरवा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **खेमा पिता हेमराज जी भील, नि0 मोहनपुरा, चीरवा, तहसील गिर्वा, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**19/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**30**.....माह.....**03**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**16**....माह.....**08**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अर्जुन मेनारिया** .....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री अनुराग शर्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**16**.....माह.....**08**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।